

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

5

मुं नं 19/17


फर्द अहकाम

तारीख रजु 28-4-17

उनवान - हरिलाल बनाम शंकर लाल कै०
मीना बहादुरपुर

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा Adv. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। शपथ पत्र व अभिवन्दी को अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्र कर अप्रार्थी गणों के जीरे से नोटिस से तलब कर दिनांक 11.5.17 को पेश है।



उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (कौली)


1471-80
1-5-17

5.7.17

प्रार्थी वकील उप० अप्रार्थी नं. 1, 2, 3 की ओर से अप्रार्थी नं. 2 विनाम ने नोटिस लेने से इन्कार किया है अप्रार्थी नं. 4 व 10 बकजुद खरना उप० नहीं। P.O. को केम्प में पकड़े है दि० 24.7.17 को पेश है।

24.7.17 प्रार्थी वकील उप० अप्रार्थी नं. 1, 2, 3 की ओर से श्री रामचरणी गुहा Adv. ने उपस्थिति दर्ज कराई। अप्रार्थी नं. 4, 5, 6, 7 की ओर से श्री राधाधरण शर्मा Adv. ने बकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 8, 9, 10 बकजुद खरना उप० नहीं है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है पेश करते बकालतनामा बजबक दि० 16.8.17 को पेश है।


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

प्रार्थी पक्ष
1, 2, 3




न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

बकुलाय उप.) बरस हेतु पुनः डाबसा पाहा। डाबसा दिया गया। वास्ते बरस दिनांक 30-8-19 को पेश हो।

30-8-19

बकुलाय आस्थित/पीठसन अधिकारी करौली

पथार है। अतः पत्रावली गतानुसार

दिनांक 27-9-19 को पेश हो।

27-9-19

बकुलाय उप.) बरस हेतु समय-चाहा। समय दिया गया।

वास्ते बरस दिनांक 4-10-19 को पेश हो।

4-10-19

बकुलाय उपस्थित। मूल दावा बिट्टो किया जा चुका है

ऐसी स्थिति में अस्थाई निवेधाना का प्रार्थना पत्र

पत्रावली रखने का उचित नहीं है। खारिज किया जाता है

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा

पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)